मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

विनोद पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी खचवाना बनाम 1. भागाराम पुत्र धन्नाराम 2. बिन्दु पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी खचवाना 3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 04/12/2021

वादी की ओर से वकील ताराचंद मोठसरा की व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 2 DPN के खाता स० 47/59 सम्वत 2075-78 के मु.न. 18 के किला न. 3/1, 3/2, 4 ता 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25, मु.न. 21 के किला न. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 32 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला में प्रतिवादी भागाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी विनोद व प्रतिवादी स. 1 भागाराम, प्रतिवादी स. 2 बिन्दु को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़